तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25-2/25	पत्राव... वकील वादी/प्रतिवादी उप... ...कार्य में ... ...हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 16/5/25 को पेश हो।
16/5	...हुई, वकील ...प्रतिवादी ...पीठासीन अधिकारी ने ...कार्य ...प्रकरण में ... ...ली पूर्ववत दिनांक 10-7-25 को पेश हो।
	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी ने राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 31/07/25 को पेश हो।
31/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप०। इजराय पालना प्राप्त हुई। जो शामिल फाईल की जाती है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से संख्या से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा
राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0

मि0नं0 06/2022	तारीख दायरा 18.01.2022	तारीख फैसला 13.07.2024

उनवान

कविता कुमारी पुत्री रामगोपाल पत्नी रमेशचन्द जाति अहिर निवासी धनसुरी तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवास मण्डा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

(वादीया)

बनाम

1– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से – तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा,व इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादीया ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1– यह कि ग्राम धनसुरी तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खाते में खाता संख्या 77 के खसरा नम्बर 174 रकबा 0.62 हे0, खसरा नम्बर 333 रकबा 0.19 हे0, खसरा नम्बर 334 रकबा 0.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 334/491 रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 345 रकबा 0.17 हेक्टर , कुल 5 किता की रकबा 1.39 हेक्टर व खाता संख्या 187 के खसरा नम्बर 436 रकबा 0.26 हेक्टर भूमि वाके ग्राम धनसुरी तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 पेश है।

2– यह कि वादनी का नाम नामा0 दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम कान्ती बाई के नाम से नामा0 दर्ज कर दिया गया है जब कि वादनी का वास्तविक नाम कविता कुमारी है तथा समस्त दस्तावेजों में भी वादनी का नाम कविता कुमारी है जिसमें वादनी को सरकार योजनाओं में किसान क्रेडिड कार्ड आदि लेने में परेशानी आ रही है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

3– यह कि उक्त वादनी का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी , अध्ययन प्रमाण पत्र आदि में वादनी का नाम कविता कुमारी है व वादनी का नाम जमाबन्दी में कान्ती बाई होने से सरकारी योजनाओं का लाभ व भूमि सुधार के लिये किसान क्रेडिड कार्ड लेने से वंचित हो रही है। वादनी को दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम दुरूस्त कराने का कानूनी अधिकार है इसलिये वादनी का नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

फोटो प्रति प्रमाणित
सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम कविता कुमारी के स्थान पर कान्ती बाई दर्ज कर दिया है जो गलत है उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड मे वादनी का नाम कान्ती बाई के स्थान पर कविता कुमारी दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में वादनी ने प्रतिवादी से दिनांक 10.01.2022 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया ओर मना कर दिया जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादनी का वाद स्वीकार किया जाकर वादनी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्व इस आशय की सादर निर्णय एवं डिक्री पारित फरमायी जावे कि:–

1– कि ग्राम धनसुरी तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खाते में खाता संख्या 77 के खसरा नम्बर 174 रकबा 0.62 हे0, खसरा नम्बर 333 रकबा 0.19 हे0, खसरा नम्बर 334 रकबा 0.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 334/491 रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 345 रकबा 0.17 हेक्टर , कुल 5 किता की रकबा 1.39 हेक्टर व खाता संख्या 187 के खसरा नम्बर 436 रकबा 0.26 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम कान्ती बाई के स्थान पर कविता कुमारी दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2– कि अन्य सहायता हो वह भी वादनी को प्रदान की जावे।

वादनी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न है:–

1– नकल जमाबन्दी ग्राम धनसूरी सम्वत 2073–2076 खाता सं0 77
2– नकल जमाबन्दी ग्राम धनसूरी सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 187
3– नकल फोटो प्रति विवाह प्रमाण पत्र
4– नकल फोटो प्रति अध्ययन प्रमाण पत्र
5– नकल फोटो प्रति आधार कार्ड
6– नकल फोटो प्रति पेन कार्ड
7– नकल फोटा प्रति बैक डायरी
8– नकल फोटा प्रति भामाशाह कार्ड
9– नकल फोटा प्रति राशन कार्ड

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार दीगोद की ओर से जवाब सरकार में कान्ती बाई व कविता कुमारी एक ही महिला का नाम होना प्रकट किया है। तथा कान्ती बाई के स्थान पर कविता कुमारी दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है। प्रतिवादी का जवाब सहमति परक होने ने प्रकरण में तनकीयात की आवश्यक नही होने एवं साक्ष्य में स्वयं वादनी का शपथ पत्र संलग्न मिसल है। पत्रावली को बहस पर नियत की गयी। पत्रावली को आज राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प में सुनवाई हेतु रखवायी गयी।

वादनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में तहसीलदार दीगोद ने कान्ती बाई पुत्री रामगोपाल सा0 देह के स्थान पर कविता कुमारी पुत्री रामगोपाल सा0 देह हिस्सा बदस्तूर दर्ज करने की अनुशंषा की है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड , बहस वादी अधिवक्ता एवं संलग्न अन्य दस्तावेजों एवं प्रस्तुत जवाब का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया। वादनी का नाम कान्ती बाई पुत्री रामगोपाल के स्थान पर कविता कुमारी पुत्री रामगोपाल दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फोटो प्रति प्रमाणित

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा

अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम धनसुरी तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खाते में खाता संख्या 77 के खसरा नम्बर 174 रकबा 0.62 हे0, खसरा नम्बर 333 रकबा 0.19 हे0, खसरा नम्बर 334 रकबा 0.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 334/491 रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 345 रकबा 0.17 हेक्टर , कुल 5 किता की रकबा 1.39 हेक्टर व खाता संख्या 187 के खसरा नम्बर 436 रकबा 0.26 हेक्टर भूमि वादनी का नाम कान्ती बाई पुत्री रामगोपाल के स्थान पर कविता कुमारी पुत्री रामगोपाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में मजमें आम सुनाया गया।

लोक अदालत
जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगो... कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत

...प्रमाणित
दीगोद, जि... (राज॰)